भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.08.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2934 का उत्तर

रेल मित्र

2934. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री पी.पी. चौधरी:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास ओडिशा में मानव रहित रेल समपारों पर नियुक्त रेल मित्रों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने रेल समपारों पर दुर्घटनाओं और राहगीरों के साथ रेल समपार पर हाथापाई (यदि कोई हो) से रेल मित्रों की सुरक्षा के लिए कोई योजना तैयार की है;
(ग) यदि हां, तो रेल मित्रों को दिए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार उन्हें अनुबंध के माध्यम से नियुक्त करने के बजाय स्थायी आधार पर कार्य पर लगाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार के पास रेल समपारों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू इस योजना के प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई डेटा है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) इस योजना के अंतर्गत सरकार का राज्य-वार कुल व्यय कितना है?

उत्तर
रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क उपयोगकर्त्ताओं को परामर्श देने और दुर्घटना की रोकथाम के लिए रेल मित्र की व्यवस्था की गई थी। बहरहाल, बड़ी आमन लाइन पर सभी यूएमएलसी को 31.01.2019 तक समाप्त कर दिया गया है। अत: संपूर्ण भारतीय रेलों पर इस स्तर पर इसके लाभ, योजना और प्रभाव आदि लागू नहीं होते है।

*****